

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी - प्रकाश चन्द्र शर्मा, IAS

प्रकरण संख्या : 07/2022
रजिस्ट्रेशन नं. : 2022/8

प्रार्थी/अपीलार्थी :-

एस.आर.जी. हाउसिंग फायनेंस
लिमिटेड, एस.एम. लोडा कॉम्प्लेक्स,
शास्त्री सर्कल उदयपुर

अप्रार्थी/रेस्पोंडेंट्स:-

1. श्रीमती सुर्या कुंवर पत्नी श्री सत्यनारायण सिंह निवासी 525, राजपुत मोहल्ला, ग्राम/पोस्ट अरथुना तहसील गढी जिला बांसवाड़ा (ऋणी/ बंधक कर्ता)
2. श्री गोविन्द सिंह राणावत पुत्र श्री सत्यनारायण सिंह निवासी 525, राजपुत मोहल्ला, ग्राम/पोस्ट अरथुना तहसील गढी जिला बांसवाड़ा (सहऋणी)
3. श्री कुलदीप सिंह चौहान पुत्र श्री रतन सिंह चौहान निवासी राजपुत मोहल्ला ग्राम/पोस्ट अरथुना तहसील गढी जिला बांसवाड़ा (जमानती)
4. श्री महेन्द्र सिंह चुण्डावत पुत्र गोपाल सिंह चुण्डावत निवासी वार्ड नं.4, 512, राजपुत मोहल्ला, ग्राम/पोस्ट अरथुना तहसील गढी जिला बांसवाड़ा (जमानती)

बनाम

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

दिनांक :- 25.05.2022

एस.आर.जी. हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड, एस.एम. लोडा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्कल उदयपुर ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर 1- श्रीमती सुर्या कुंवर पत्नी श्री सत्यनारायण सिंह निवासी 525, राजपुत मोहल्ला, ग्राम/पोस्ट अरथुना तहसील गढी जिला बांसवाड़ा (ऋणी/ बंधक कर्ता) 2- श्री गोविन्द सिंह राणावत पुत्र श्री सत्यनारायण सिंह निवासी 525, राजपुत मोहल्ला, ग्राम/पोस्ट अरथुना तहसील गढी जिला बांसवाड़ा (सहऋणी) 3- श्री कुलदीप सिंह चौहान पुत्र श्री रतन सिंह चौहान निवासी राजपुत मोहल्ला ग्राम/पोस्ट अरथुना तहसील गढी जिला बांसवाड़ा (जमानती) 4- श्री महेन्द्र सिंह चुण्डावत पुत्र गोपाल सिंह चुण्डावत निवासी वार्ड नं.4, 512, राजपुत मोहल्ला, ग्राम/पोस्ट अरथुना तहसील गढी जिला बांसवाड़ा (जमानती) को दिनांक 22.01.2020 को राशि रुपये 8,50,000 (अक्षरे आठ लाख पचास हजार रुपये मात्र) का ऋण स्वीकृत किया।



कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

निर्दिष्ट रूप से उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और भुगतान के व्यतीक्रम व अतिदेय होने पर दिनांक 06.04.2021 को अक्रियान्वित आस्ति में वर्गीकृत कर दिया है। अप्रार्थीगण के खाते दिनांक 30-06-2021 को कुल बकाया राशि 5,50,770 रु. (पाँच लाख पचास हजार सात सौ सत्तर मात्र) एवं तत्पश्चात राशि मय ब्याज की बसूली के पूर्ण भुगतान हेतु स्वयं जिम्मेदार है। सिक्वोरीटी के रूप में अपनी अचल सम्पत्ति प्रार्थी के पास रहन की जिसका विवरण श्रीमती सुर्या कुंवर पत्नी श्री सत्यनारायण की सयुक्त सम्पत्ति जो पट्टा संख्या 70, खस्ता नं 1757, संकल्प सं. 01/03 दिनांक 05.03.2019, ग्राम व ग्राम पंचायत अरथुना, तहसील गढी जिला बांसवाड़ा पर स्थित है जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति का अभिन्न अंग है, जिसका माप लगभग 1404 वर्ग फीट है, जिसके पूर्व में स्वयं की जमीन, पश्चिम में स्वयं का आंगन व सी.सी. रोड, उत्तर में श्री रामनारायण पुत्र मोती सिंह का मकान, दक्षिण में स्वयं का बाड़ा है, को बतौर प्रतिभूति स्वरूप बन्धक रखा गया था, उसे अधिपत्य में लेने के लिए तथा उससे सम्बन्धित यदि कोई कागजात ऋणी/गारंटर के पास उपलब्ध हों तो उसे उपलब्ध कराने के लिए सहयोग हेतु निवेदन किया है।

वित्त विभाग (Department of financial services) की अधिसूचना दिनांक 18 दिसम्बर 2015 के अनुसार प्रार्थी एस.आर.जी. हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड को केन्द्रीय सरकार, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) की धारा 2 की उपधारा(1) के खंड (ड) के उप-खंड (IV) के अन्तर्गत वित्तीय संस्था घोषित की है। साथ ही प्रकरण में 20 प्रतिशत से अधिक एवं 1 लाख से अधिक ऋण बकाया होने के कारण सरफेसी एक्ट 2002 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में संस्था पात्र है।

प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) सरफेसी एक्ट 2002 के तहत दिनांक 16-07-2021 को ऋणी अप्रार्थीगणों को नोटिस दिया गया जिस पर उसने कोई जवाब या कार्यवाही नहीं की व ऋण राशि जमा नहीं करवाई। प्रोपर्टी के सम्बन्ध में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य निष्पादित लोन एग्रीमेन्ट है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु विधिवत नोटिस दिनांक 21.01.2022 को जारी किये गए। अप्रार्थी सं. 1 का नोटिस दिनांक 11.02.2022 को, अप्रार्थी सं. 2 का नोटिस दिनांक 21.03.2022 को, अप्रार्थी सं. 4 का नोटिस दिनांक 06.05.2022 को एवं अप्रार्थी सं. 3 का नोटिस दिनांक 25.05.2022 को बाद तामील प्रस्तुत हुए किन्तु अप्रार्थीगण स्वयं अथवा उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे।



**क्लकटर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)**

अतः नोटिस बाद तामील प्रस्तुत होने एवं अप्रार्थीगण सं 1 से 4 को समुचित अवसर प्रदान करने के अभाव अनुपस्थित रहे है। अतः अप्रार्थीगणों के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।


दिनांक 25.05.2022 को प्रार्थी अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में कथन किया कि ऋणी द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवाई गई न सुनवाई के दौरान उपस्थित रहे है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करने निवेदन किया।

हमने एकपक्षीय बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। सरफ़ेसी एक्ट 2002 के तहत वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है एवं वित्तीय संस्था को अवल सम्पत्ति का कब्जा लिये जाने हेतु सहयोग प्रदान किया जाना आवश्यक है। यदि नियमों के अनुसार वित्तीय प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नहीं की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक/वित्तीय संस्था का होगा।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार अस्थुना को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त बन्धक स्वरूप सम्पत्ति का कब्जा एवं उससे सम्बन्धित कागजात एस.आर.जी. हाउसिंग फ़ायनेंस लिमिटेड, एस.एम. लोडा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्कल उदयपुर को दिलाने के लिए बैंक/संस्थान को आवश्यक सहयोग प्रदान करे एवं आवश्यक हो तो थानाधिकारी से पुलिस सहयोग प्राप्त करे। जिला पुलिस अधीक्षक से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह सम्बन्धित थानाधिकारी को निर्देश प्रदान करे कि आवश्यकता होने पर वह पुलिस सहायता प्रदान करे।

निर्णय आज दिनांक 25.05.2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।




(प.का.श. इन्द्र शर्मा)
क्लर्क एवं जिला मजिस्ट्रेट
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
बासवाड़ा (राज.)
बासवाड़ा